संख्या-90/2015/3200/सैंतीस-2-2015-1(77)/03टीसी।।

प्रेषक,

चन्द्र कान्त पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-21 दिसम्बर, 2015

विषयः- **पशु रोग नियँत्रण योजना (75 प्रति0के0पो0) (सामान्य) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में निर्गत वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश दि0-11.09.2015 को निरस्त किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-603/सा0-1/एक्स-120(4)/एस्कैड-सामान्य/2015-16, दिनांक-09.11.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-64/2015/2663/सैंतीस-2-2015-1(77)/03टीसी।। दिनांक-11.09.2015 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-आयोजनागत-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-02-राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण कार्यक्रम-0205-पशु रोग नियंत्रण योजना (के.75/रा.25-के.+रा.) के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में रू0-525.00 लाख (रूपये पाँच करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत की गयी है। उक्त शासनादेश संख्या-64/2015/2663/सैंतीस-2-2015-1(77)/03टीसी।।, दिनांक-11.09.2015 को एतद्द्वारा निरस्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-2-1161/दस-2015, दिनांक-21 दिसम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(**चन्द्र कान्त पाण्डेय**)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-90/2015/3200(1)/सैंतीस-2-2015- तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. संयुक्त सचिव, पशुपालन, दुग्ध एवं मत्स्यपालन विभाग, कृषि मँत्रालय, नई दिल्ली।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/नियोजन अनु0-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय-सहायता) अनुभाग।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(**रणविजय सिंह**)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in